



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 249 राँची, गुरुवार,

21 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

16 सितम्बर, 2019

ज्ञापांक: 03/म०स०/पे०यो०-62/2019-2205--

विषय :- राज्य योजनान्तर्गत संचालित "आदिम जनजाति पेंशन योजना" के स्थान पर "मुख्यमंत्रीराज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना" के मार्ग -निर्देश में संशोधन की स्वीकृति।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा राज्य में निवास करने आदिम जनजाति परिवारों का जीवन स्तर के उत्थान हेतु आदिम जनजाति पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।

वर्तमान में, इस योजनान्तर्गत आच्छादित करने के लिए लाभान्वितों को बी०पी०एल० सूची में नाम तथा वार्षिक आय की सीमा में छूट दी गई है। इस योजना के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-06/सा०सु०(आदिम जनजाति)-05/2015-277, दिनांक-08.07.2015 के आलोक में लाभ प्रदान किया जाता है ।

2. सम्यक विचारोपरान्त राज्य में संचालित "आदिम जनजाति पेंशन योजना" के पूर्व में निर्गतसंकल्प को विलोपित करते हुए निम्नरूपेण मार्गदर्शिका की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2.1 नाम-

वर्तमान में राज्य योजनान्तर्गत संचालित "आदिम जनजाति पेंशन योजना" को "मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना" के नाम से जाना जाएगा।

2.2 उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाले आदिम जनजाति परिवारों का उत्थान करना है। प्रत्येक परिवार की एक वयस्क विवाहित महिला को अथवा यदि परिवार में कोई वयस्क विवाहित महिला न हो तो वैसे परिस्थिति में परिवार के पुरुष मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है। अतः यह मूलतः परिवार आधारित पेंशन योजना है।

2.3 योजना का स्वरूप :-

इस योजना के तहत योग्य लाभुकों को ₹-1,000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह प्रति लाभुक की आर्थिक सहायता बैंक खाते में ABPS/PFMS के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

2.4 लाभार्थी हेतु पात्रता

- परिवार की वयस्क विवाहित महिला हो। यदि परिवार में कोई वयस्क विवाहित महिला नहो तो वैसे परिस्थिति में परिवार के पुरुष मुखिया के नाम से पेंशन स्वीकृत किया जायेगा।
- लाभुक आदिम जनजाति समूह यथा असुर बिरहोर, बिरजिया, हिल-खरिया, कोरवा, माल-पहाड़िया, परहिया, सौरिया-पहाड़िया एवं सबर का सदस्य हो
- लाभुक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी अथवा सर्वजनिक क्षेत्र में नौकरी नहीं करता हो, जिससे उन्हें नियमित मासिक आय की प्राप्ति हो रही हो।
- जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (पूर्व में राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (पूर्व में राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य HIV/AIDS पीडित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना (पूर्व HIV/AIDS पीडित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना) एवं स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना में से किसी का भी लाभ मिल रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना (पूर्व में आदिम जनजाति पेंशन योजना) का लाभ देय नहीं होगा।

- v. मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना (पूर्व में आदिम जनजाति पेंशन योजना) के लाभुकों को ऊपर वर्णित किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा ।
- vi. कडिका 2.3 (i) (ii) एवं (iii) में वर्णित पात्रता संकल्प जारी होने की तिथि के बाद जिन लाभुकों का चयन होगा, उनपर लागू होगी ।
- vii. संकल्प सं०-06/सा०सु० (आदिम जनजाति)- 05/2015-277, दिनांक-08.07.2015 अथवा उसके पूर्व इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जो भी संकल्प निर्गत हुए हैं, उनके अन्तर्गत जिन लाभुकों का नियमानुसार चयन किया गया है वो पूर्ववत योजना के तहत लाभ प्राप्त करते रहेंगे। उक्त चयनित लाभुकों के संबंध में कडिका 2.3 (i), (ii) एवं (iii) लागू नहीं होगी ।

2.5 आवेदन प्रक्रिया-

आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्नप्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी:-

- i. आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र ।
- ii. मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति ।
- iii. परिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र ।
- iv. आवेदक का आधार-कार्ड अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र ।
- v आवेदक का बैंक खाता का पासबुक की छायाप्रति ।

2.6 कार्यान्वयन प्रक्रिया -

- i. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी पेंशन संबंधी आवेदनों के स्वीकृति पदाधिकारी होंगे ।
- ii. ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन NSAP-PPS Portal पर Online अथवा offline (हार्ड कॉपी) प्राप्त किया जायेगा ।
- iii. प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जाँच करायी जाएगी ।
- iv. उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखण्ड/अंचल को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप Online स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी ।
- v. स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को सूचित किया जायेगा ।
- vi. संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा NSAP-PPS Portal पर प्रविष्ट लाभुकों के आधार पर प्रतिमाह कोषागार से राशि की निकासी कर ABPS/PFMS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में भुगतान की जायेगी। आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा Centralised Payment भी किया जा सकता है ।

2.7 लाभुकों का वार्षिक सत्यापन-

- i. इस योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का वार्षिक सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकासपदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा करायी जायेगी।
- ii. विभाग इस संबंध में लाभुक से प्रज्ञा केन्द्र/अन्य माध्यम से निर्गत जीवन प्रमाण-पत्र की मांग कर सकता है।

2.8 लाभार्थी का नाम विलोपित करने की प्रक्रिया:-

- i. ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारीद्वारा आदेश पारित कर नाम विलोपित किया जायेगा।
- ii. लाभार्थी का नाम विलोपित किये जाने के निम्न आधार होंगे -
 - (क) लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में।
 - (ख) लाभार्थी अपने पते पर एक वर्ष से अधिक समय से नहीं रह रहा हो।
 - (ग) चयन के समय जो अर्हता निर्धारित थी, वास्तव में लाभार्थी उसकी अर्हता नहीं रखता हो।
 - (घ) इस योजना के लाभार्थी, इस योजना के अतिरिक्त अन्य पेंशन योजना यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगपेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (पूर्व में राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (पूर्व में राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना (पूर्व में HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना) एवं स्वामी विवेकानन्द निःशक्तस्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना में से किसी का भी लाभ ले रहा हो।
- iii. उपरोक्त कंडिका-2.8 (ii) के (ग) एवं (घ) के आधार पर लाभुक के अयोग्य पाये जाने पर ग्रामीणक्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा लाभुकको कम से कम 15 दिन का नोटिस निर्गत किया जायेगा। नोटिस निर्गत होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो तो) के निराकरणोपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
- iv. उपरोक्त कंडिका-2.8 (ii) के (क) एवं (ख) के आधार पर लाभार्थियों की स्वीकृत सूची से नाम विलोपित किये जाने के लिए प्रस्तावित / चिन्हित व्यक्तियों की सूची, विलोपन के कारण के साथ ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में सूचना पट्ट पर एक माह तक प्रदर्शित किया जायेगा जिसकी एक-एक प्रति संबंधित पंचायत कार्यालय / नगर निकाय को प्रेषित की जायेगी। सूचना पट्ट पर प्रदर्शन के पश्चात् प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो तो) के निराकरणोपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
- v. कोई भी इच्छुक व्यक्ति पेंशन संबंधी दावों एवं आपत्तियों के संबंध में अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी को दे सकता है।

- vi. प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों की स्वीकृत सूची से विलोपित किये गये नामों की सूची अलग से ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में संधारित की जायेगी। इस सूची की प्रति संबंधित पंचायत कार्यालय/नगर निकाय, अनुमण्डल कार्यालय, उप विकास आयुक्त का कार्यालय एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भी प्रेषित की जायेगी।

2.9 लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा-

- i. इस योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का सामाजिकलेखा परीक्षा वर्ष में दो बार किया जायेगा।

2.10 अपील की प्रक्रिया-

- i. ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकासपदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के पेंशन संबंधी किसी भी निर्णय के विरुद्ध अनुमंड पदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होंगे।
- ii. अनुमंडल पदाधिकारी के पेंशन संबंधी किसी भी निर्णय के विरुद्ध जिले के उप विकास आयुक्त पुर्नरावलोकन पदाधिकारी होंगे।
- iii. प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं पुर्नरावलोकन पदाधिकारी पेंशन संबंधी ऐसे प्राप्त आवेदनों कानिष्पादन आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेंगे।

2.11 अन्यान्य-

- i. इस मार्ग-निदेश के निर्गत होने की तिथि से इस विषयक पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-06/सा०सु०(आदिम जनजाति)-05/2015-277 दिनांक-08.07.2015 विलोपित समझा जायेगा।
- ii. नई मार्ग-दर्शिका संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।
- iii. निदेशक सामाजिक सुरक्षा झारखण्ड द्वारा उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में सभी जिलों के लिए लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।
- iv. सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड से आवंटित लक्ष्य के आलोक में जिला के सभी प्रखण्ड/अंचल के लिए लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।
- v. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के स्वीकृति पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप ही पेंशन से संबंधित आवेदन पत्रों की स्वीकृति सुनिश्चित करेंगे।
- vi. मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना (पूर्व में आदिम जनजाति पेंशन योजना) के सभी लाभुकों की सूची ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय शहरी क्षेत्र में वार्ड एवं अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं उपविकास आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।
- vii. इसकी प्रति संबंधित क्षेत्र के पंचायत/नगर निकाय / स्थानीय विधायक / स्थानीय सांसद को वर्ष में एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।

- viii. ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी, अपने क्षेत्र अन्तर्गत लाभुकों की सूची की शुद्धता के पूर्ण उत्तरदायी होंगे।
3. मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना (पूर्व में आदिम जनजाति पेंशन योजना) के आच्छादित लाभुकों को निम्नरूपेण पेंशन भुगतान किया जा रहा है-

क्र०	योजना का नाम	राज्यांश	कुल
1.	मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना (पूर्व में आदिम जनजाति पेंशन योजना)	रू0-1000/-	रू0-1000/-

4. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव ।
